

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 561/2017

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मदनसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. रणजीतसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. शिशपालसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
4. कलावती पत्नी प्रताप जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
5. नोजा पत्नी हनुमानसिंह जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
6. अणची पत्नी प्रहलाद जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
7. शारदा पत्नी किरसन जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रतनपुरा तहसील नोहर।
9. आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लिमिटेड शाखा जसाना तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-53, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादी

श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: ०९/०५/२०१५

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर के प०न० 297/388(77) के किला न० 6 ता 9 की 1. 0120 हैक्ट 11 ता 18 की 2.0240 हैक्ट, 23/0.1771, 24/0.1265, 25/0.0866 कुल 3.4282 हैक्ट भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स० 3 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स० 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स० 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स० 7 का 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। वाद भूमि का काफी वर्षों पूर्व बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकारान काबिज है इसलिए वादी मुताबिक बंटवारा उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवाना चाहता है। अतः वाद वादी मुताबिक कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनु०)



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया की हम पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका है जो कि निम्नानुसार है— रोही मौजा 4 आरपीएम के खाता स० 113 में रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी जसाना के पास प०न० 297/388(77) के किला न० 7/1 की 0.18 हैक्ट, किला न० 8 ता 9 की 0.506 हैक्ट, किला न० 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, किला न० 18 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 23 की 0.1771 हैक्ट कुल 1.1731 हैक्ट भूमि रहेगी एवं नोजा पत्नी हनुमान सिंह जाति जाट निवासी 4 के आरपीएम के पास प०न० 297/388(77) के किला न० 17/1 की 0.152 हैक्ट, किला न० 24 की 0.1265 हैक्ट कुल 0.2785 हैक्ट भूमि रहेगी एवं कलावती पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी 4 आरपीएम के पास प०न० 297/388(77) के किला न० 25 की 0.0886 हैक्ट, किला न० 16/1 की 0.190 हैक्ट कुल 0.2786 हैक्ट भूमि रहेगी एवं मदन सिंह पुत्र रणजी सिंह व शिशपाल सिंह पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी जसाना के पास प०न० 297/388(77) के किला न० 16/2 की 0.063 हैक्ट किला न० 15/1 की 0.215 हैक्ट कुल 0.278 हैक्ट भूमि रहेगी एवं अणची पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी 4 आरपीएम के पास प०न० 297/388(77) के किला न० 15/2 की 0.038 हैक्ट, किला न० 6 की 0.253 हैक्ट, कि०न० 7/4 की 0.026 हैक्ट रास्ता, किला न० 7/2 की .127 हैक्ट कुल 0.444 हैक्ट भूमि रहेगी एवं शारदा पत्नी किरसन जाति जाट निवासी 4 आरपीएम के पास प०न० 297/388 (77) के किला न० 7/3 की 0.082 हैक्ट, किला न० 14/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, किला न० 14/2 की 0.240 हैक्ट, किला न० 17/2 की 0.095 हैक्ट, किला न० 17/3 की 0.006 हैक्ट रास्ता कुल 0.436 हैक्ट भूमि रहेगी। मुताबिक राजीनामा व नक्शा के बाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। वादी ने बाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी जमाबंदी पेश की जो शामिल मिसल कि गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि ने कथन किया की बाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकारान काबिज है इसलिए मुताबिक कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जावे वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के बाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। मुताबिक राजीनामा बाद वादी डिक्री फरमाया जावे अतः वादी का बाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का बाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए बाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक न० 4 आरपीएम

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
बोहर (हनु०)

तहसील नोहर के प0न0 297/388(77) के किला न0 6 ता 9 की 1.0120 हैक्ट 11 ता 18 की 2.0240 हैक्ट, 23/0.1771, 24/0.1265, 25/0.0866 कुल 3.4282 हैक्ट भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी स0 7 का 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री फरमाया जावे। वादी के उक्त कथनो को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा 4 आरपीएम के खाता स0 113 की भूमि का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है—

1. रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी जसाना खातेदार— प0न0 297/388(77) के किला न0 7/1 की .018 हैक्ट, किला न0 8 ता 9 की 0.506 हैक्ट, किला न0 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, किला न0 18 की 0.2530 हैक्ट, किला न0 23 की 0.1771 हैक्ट कुल 1.1731 हैक्ट भूमि
2. नोजा पत्नी हनुमान सिंह जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार— प0न0 297/388(77) के किला न0 17/1 की 0.152 हैक्ट, किला न0 24 की 0.1265 हैक्ट कुल 0.2785 हैक्ट भूमि
3. कलावती पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार— प0न0 297/388(77) के किला न0 25 की 0.0886 हैक्ट, किला न0 16/1 की 0.190 हैक्ट कुल 0.2786 हैक्ट भूमि
4. मदन सिंह पुत्र रणजी सिंह व शिशपाल सिंह पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी जसाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा रतनपुरा— प0न0 297/388(77) के किला न0 16/2 की 0.063 हैक्ट किला न0 15/1 की 0.215 हैक्ट कुल 0.278 हैक्ट भूमि
5. अणची पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक जसाना— प0न0 297/388(77) के किला न0 15/2 की 0.038 हैक्ट, किला न0 6 की 0.253 हैक्ट, किला न0 7/4 की 0.026 हैक्ट रास्ता, किला न0 7/2 की .127 हैक्ट कुल 0.444 हैक्ट भूमि
6. शारदा पत्नी किरसन जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार— प0न0 297/388 (77) के किला न0 7/3 की 0.082 हैक्ट, किला न0 14/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, किला न0 14/2 की 0.240 हैक्ट, किला न0 17/2 की 0.095 हैक्ट, किला न0 17/3 की 0.006 हैक्ट रास्ता कुल 0.436 हैक्ट। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के

ॐ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनु0)

हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 561/2017

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मदनसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. रणजीतसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. शिशपालसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
4. कलावती पत्नी प्रताप जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
5. नोजा पत्नी हनुमानसिंह जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
6. अणची पत्नी प्रहलाद जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
7. शारदा पत्नी किरसन जाति जाट साकिन चक न० 4 आरपीएम तहसील नोहर।
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रतनपुरा तहसील नोहर।
9. आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लिमिटेड शाखा जसाना तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 561 सन 2017 निर्णय दिनांक 09/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा 4 आरपीएम के खाता स० 113 की भूमि का निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है-


1. रामचन्द्र पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी जसाना खातेदार- प०न० 297/388(77) के किला न० 7/1 की .018 हैक्ट, किला न० 8 ता 9 की 0.506 हैक्ट, किला न० 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, किला न० 18 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 23 की 0.1771 हैक्ट कुल 1.1731 हैक्ट भूमि
2. नोजा पत्नी हनुमान सिंह जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार- प०न० 297/388(77) के किला न० 17/1 की 0.152 हैक्ट, किला न० 24 की 0.1265 हैक्ट कुल 0.2785 हैक्ट भूमि
3. कलावती पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार- प०न० 297/388(77) के किला न० 25 की 0.0886 हैक्ट, किला न० 16/1 की 0.190 हैक्ट कुल 0.2786 हैक्ट भूमि
4. मदन सिंह पुत्र रणजी सिंह व शिशपाल सिंह पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी जसाना खातेदार रहन एसबीआई शाखा रतनपुरा- प०न० 297/388(77) के किला न० 16/2 की 0.063 हैक्ट किला न० 15/1 की 0.215 हैक्ट कुल 0.278 हैक्ट भूमि

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनु०)

5. अणची पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक जसाना- प0न0 297/388(77) के किला न0 15/2 की 0.038 हैक्ट, किला न0 6 की 0.253 हैक्ट, कि0न0 7/4 की 0.026 हैक्ट रास्ता, किला न0 7/2 की .127 हैक्ट कुल 0.444 हैक्ट भूमि

शारदा पत्नी किरसन जाति जाट निवासी 4 आरपीएम खातेदार- प0न0 297/388 (77) के किला न0 7/3 की 0.082 हैक्ट, किला न0 14/1 की 0.013 हैक्ट रास्ता, किला न0 14/2 की 0.240 हैक्ट, किला न0 17/2 की 0.095 हैक्ट, किला न0 17/3 की 0.006 हैक्ट रास्ता कुल 0.436 हैक्ट। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर